


स्टेट बैंक प्रकरण सं 03/2018 (RCMS 2018/00003) भारतीय स्टेट  
बैंक—सम्बन्धी एरिया, श्रीगंगानगर जरिये स्टेट बैंक राम प्रसाद मीणा, मुख्य  
प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क,  
श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स सहदेव ब्रादर्स, शॉप नं 44, जवाहर मार्केट  
श्रीगंगानगर जरिये प्रो. श्री रवि सोनी पुत्र श्री श्याम सुन्दर सोनी, निवासी  
सकान नं 118, गली नं 03, दुर्गा विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (ऋणी)  
2. श्री श्यामसुन्दर सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी, दुर्गा विहार कॉलोनी,  
श्रीगंगानगर (गारंटर)

25.07.2018



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित। बहस पूर्व में  
सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि  
उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत  
किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स सहदेव ब्रादर्स— प्रो. रवि सोनी को ऋण  
सुविधा के रूप में ऋण 50,00,000/-रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र)  
दिनांक 24.11.2015 को स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी  
गारंटर की रिहायशी सम्पत्ति दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16,  
मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग  
फुट)(पश्चिमी भाग) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर  
(पश्चिमी भाग) (क्षेत्रफल 05 गुणा 18 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी।  
अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान  
नहीं किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.02.2017 को  
अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम  
दिनांक 04.03.2017 को 52,42,668/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के  
ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60  
दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 06.03.2017 को बकाया राशि एवं

माजस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

के बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस लि के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल रिहायशी सम्पत्ति दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट)(पश्चिमी भाग) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पश्चिमी भाग) (क्षेत्रफल 05 गुणा 18 वर्गफुट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै सहदेव ब्रादर्स - प्रो. रवि सोनी को दिनांक 24.11.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 50,00,000/- (अखरे रूपये पचास लाख रूपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारन्टर श्याम सुन्दर सोनी द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ रिहायशी सम्पत्ति दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट)(पश्चिमी भाग) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पश्चिमी भाग) (क्षेत्रफल 05 गुणा 18 वर्गफुट) में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी गारन्टर श्याम सुन्दर सोनी जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 06.03.2017 को डाक द्वारा भिजवाया गया, जिसकी प्राप्ति की पुष्टि एडी रसीद

श्याम सुन्दर सोनी  
श्री गंगानगर

(अभ्यावेदन) से होती है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी जमानतदार की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जहां तक ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गयी सम्पत्ति का प्रश्न है कि गारंटर श्याम सुन्दर सोनी की ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई रिहायशी सम्पत्ति दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट)(पश्चिमी भाग) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पश्चिमी भाग) (क्षेत्रफल 05 गुणा 18 वर्गफुट) में ही स्थित है और उक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है जो कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में ही स्थित है और जिस पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.03.2017 की तामील का प्रश्न है, प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.03.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने के लिए अप्रार्थीगण मै. सहदेव ब्रदर्स-प्रो. रवि सोनी (ऋणी) एवं श्याम सुन्दर सोनी (गारंटर) के नाम रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये थे, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई पोस्ट ऑफिस एडी रसीद से होती है और बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के अनुसार न तो नोटिस के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन/आपत्ति पेश की गई और न ही बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों का प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है।

श्याम सुन्दर सोनी  
जिला माजस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का कब्जा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2017 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिनूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्तियां रिहायशी सम्पत्ति दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुर्ब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट)(पश्चिमी भाग) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पश्चिमी भाग) (क्षेत्रफल 05 गुणा 18 वर्गफुट) जो कि गारंटर श्याम सुन्दर सोनी के नाम से है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (ज्ञानाराम)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 श्री गंगानगर